संख्या-19/610/47-का-3-2015-13/15/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च, 2015**

विषय - उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय को व्यवस्थित करने हेतु पैकफेड संस्था को अग्रिम के रूप में में धनराशि प्रदान किया जाना है।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-183/नजारत-आयोग/2015-1/1(81)/15-2014-1, दिनांक 23.03.2015,शासनादेश संख्या-6/235/47-का-3-2015-13/15/2014, दिनांक 30.01.2015 एवं शासनादेश संख्या-21/2015-602/47-का-3/2015-13/2/2013, दिनांक 24.03.2015, जिसके द्वारा पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि को अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के निस्तारण पर रखते हुए, व्यय किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय को व्यवस्थित करने हेतु शासनादेश संख्या-20/2015/497/47-का-3/2015-13/2/2013, दिनांक 20 मार्च, 2015 के द्वारा 29-अनुरक्षण में पुनर्विनियोजन के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0-37,23,000.00(रूपये सैंतीस लाख तेईस हजार मात्र) उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ, लि0 (पैकफेड) को व्यय करने हेतु अग्रिम के रूप में भुगतान किए जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा उक्त धनराशि का समायोजन प्रत्येक स्थिति में दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा।

3- यदि आहरण/ समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता अथवा क्षति होती है तो उसके लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-20 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग" में 29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ.ए.-1-106/दस-2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-19/610(1)/47-का-3-2015-13/15/2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024.

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5.

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2.

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।